

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18.9.25	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे बन्ना आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत जमीन खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये बने हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति बन्धी नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय तारे इजलास चुनाव मया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तत्वीय तर्कील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">भूप्रबन्स अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>	